



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1354) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-13/2025-5146/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2025 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम संख्या 14, 2025]

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत-गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
- (3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. धारा 27 “आ” की उप धारा (2) में संशोधन ।-धारा-27 “आ” की उपधारा (2) के वर्तमान प्रावधान की नयी उपधारा (2) द्वारा निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(2) नगरपालिका प्रशासन हेतु कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी में निहित होगा, जो सशक्त स्थायी समिति की निगरानी तथा इस अधिनियम के साथ-साथ इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों, उप-विधियों के प्रावधानों के अधीन होगा।”

3. धारा 55 के उपधारा (1) में संशोधन ।-धारा 55 की उपधारा (1) के वर्तमान प्रावधान को नयी उपधारा (1) द्वारा निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(1) नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में पार्षदों और मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी के द्वारा भाग लिया जाएगा जबकि सीमित संख्या (सरकार द्वारा यथा निर्धारित) में दर्शक भी मुख्य नगर पार्षद की अनुमति से वहां उपस्थित हो सकते हैं।”

4. धारा 60 में संशोधन ।-धारा 60 के वर्तमान परन्तुक को नये परन्तुक द्वारा निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“परन्तु प्रत्येक बैठक की कार्यवाही मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले पार्षद द्वारा बैठक के आयोजन की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर विहित रूप से हस्ताक्षरित कर अनिवार्य रूप से निर्गत किया जाएगा।”

5. धारा 143 की उपधारा (1) में संशोधन ।-धारा 143 की उपधारा (1) के वर्तमान प्रावधान को नयी उपधारा (1) द्वारा निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(1) कोई भी व्यक्ति जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विहित रूप से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट हो तो वह ऐसे आदेश के 30 (तीस) दिनों के भीतर उस जिले के जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित नगरपालिका स्थित है, जिनका निर्णय अंतिम होगा।”

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

13 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-13/2025-5147/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2025 को अनुमत बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम 14, 2025) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[BIHAR ACT NO. 14, 2025]
THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2025
 AN
 ACT

to amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007)

Be it enacted by the State Legislature of Bihar in the Seventy Sixth year of the Republic of India as follows:

1. *Short title, extent and commencement.*—

- (1) This Act shall be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2025.
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force with immediate effect.

2. *Amendment in sub-section(2) of Section-27B.*—The extant provision of sub section (2) of Section 27-B shall be substituted by the new sub-section (2) as follows :

"(2)The executive functions for carrying out the administration of the Municipality shall vest in the Chief Municipal Officer subject to the supervision of the Empowered Standing Committee and provision of this Act as well as the Rules, Regulation and by-laws made there under."

3. *Amendment in sub-section (1) of section 55.*—The extant provision of Sub-Section-(1) of the Section 55 shall be substituted by new sub-section(1) as follows :

"(1)Every meeting of the Municipality shall be attended by the Members and Chief Municipal Officer or any other officer nominated by him on this behalf while spectators in limited numbers (as fixed by the Government) may also be present there with due permission of the Chief Municipal Councillor ."

4. *Amendment in Section-60.*—The extant Proviso of section-60 shall be substituted by the new proviso as follows :

"Provided that the minutes of every meeting shall be compulsorily issued within a fortnight from the date of convening of the meeting duly signed by the Chief Councilor or Councilor presiding over the meeting."

5. *Amendment in sub-Section (1) of Section-143.*—The extant provision of sub-section (1) of Section 143 shall be substituted by the new sub-section (1) as follows :

"(1) Any person dissatisfied with the order passed by the Chief Municipal officer or any other officer duly authorized by the state Government, may file an appeal before the District Judge of the District in the jurisdiction of which the Municipality comes, within 30 (Thirty) days of such order, whose order shall be final."

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary.

—
 अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1354-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>